देरी को लेकर असाधारण सख्ती

अदालत की नाराजगी सरकार की ओर से पिछले महीने लाए गए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर भी है। इससे मिलते-जुलते प्रावधानों वाले पिछले कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। इसके बावजूद वैसे ही प्रावधान नए कानून की शक्ल में लाए गए।

अर्जुन देव।।

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्राइब्यूनल में खाली पड़े पदों को भरने में हो रही देरी को लेकर असाधारण सख्ती दिखाई है। उसने कहा है कि लगता है जैसे सरकार के मन में इस कोर्ट के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर नियुक्तियां करने को कहा। अदालत को हैरानी इस बात पर थी कि बार-बार कहने और मौजूदा कानूनों के तमाम प्रावधानों का पालन करते हुए नाम भेजे जाने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। सरकार की ओर से इसका कोई ढंग का स्पष्टीकरण भी पेश नहीं किया जा सका कि आखिर नियुक्तियां न किए जाने की क्या वजह रही। लेकिन मामला सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं।

अदालत की नाराजगी सरकार की ओर से पिछले महीने लाए गए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर भी है। इससे मिलते-जुलते प्रावधानों वाले पिछले कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। इसके बावजूद वैसे ही प्रावधान नए कानून की शक्ल में लाए गए। शीर्ष अदालत ने इस पर तीखी आपत्ति करते हुए कहा कि हम किसी कानून के खिलाफ फैसला देते हैं, आप कुछ दिनों बाद वैसा ही नया कानून ले आते हैं। यह एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे ऐसा संदेश जा सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं करती।

अदालत ने जिम्मेदारी और अधिकारों की बारीक सीमा को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार फैसले का मुख्य संदेश ग्रहण करते हुए उसके अनुरूप नया कानून बना सकती है, वह किसी फैसले के आधार को भी बदल सकती है, लेकिन फैसले की मुखालफत करते हुए कोई नया कानून नहीं बना सकती। फैसले का आधार बदलने और मुखालफत करने के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए अंतर पर थोड़ा गौर किया जाए तो साफ होता है कि सरकार किसी खास कानून में संशोधन करके कोर्ट द्वारा की गई उसकी पिछली व्याख्या के आधार को और विस्तृत कर सकती है, जिससे हो सकता है अगली बार कानून की वह व्याख्या बदल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून के जिस प्रावधान को खारिज करे, वही प्रावधान फिर से लाए जाएं तो यह कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो जाता है। इसे ठीक नहीं माना जा सकता। वैसे यह भी सच है कि अभी इस मामले की सुनवाई चल ही रही है और केंद्र सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा जाना बाकी है।

अभी यह मानना मुनासिब होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गंभीरता को समझती है। लेकिन किसी भी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मामले में उसके आदेशों की अनदेखी हुई है तो सरकार को इस मामले की तह तक जाते हुए उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और उन्हें अविलंब दूर करना चाहिए।

जंगल का राजा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

एक दिन सर्प ने सोचा, "मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाल हूं। इसलिए मैं ही जंगल का राजा हूं। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए।" यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों की बस्तियां थी। वहां ढेर सारी मिट्टी के छोटे-छोटे कण जमा थे। उन्हें देखकर उसने घृणा से मुंह बिचकाया और कहा– "यह गंदगी मुझे पसंद नहीं। यह बवाल यहां नहीं रहना चाहिए।" वह गुस्से से बिल के पास गया और चींटियों से बोला– "मैं नागराज हूं, इस जंगल का राजा! मैं आदेष देता हूं कि जल्द से जल्द इस गंद को यहां से हटाओ और चलती बनो।" सर्पराज को देखकर वहां रहने वाले अन्य छोटे-छोटे जानवर थर-थर कांपने लगे।

संपादकीय

अखिल भारतीय भर्ती

गौर करने की बात है कि तिहाड़ जेल में बंद अधिकतर मुलजिम दिल्ली और आसपास के राज्यों से ही होते हैं। ऐसे में तिहाड़ जेल में अखिल भारतीय भर्ती की व्यवस्था पर भी विचार होना चाहिए ताकि कैदी जेल स्टाफ के लोकल होने की वजह से उससे 'दोस्ती' करने की कोशिश में कामयाब ना हो सकें। इसी मकसद से तिहाड़ में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को लाया गया था। इसके फायदे भी हुए हैं। दूसरा, न्यायिक अधिकारियों की जेलों में ट्रेनिंग से जेलों में 'पुलिस राज' कायम नहीं हो सकेगा। जेलों में विजिटिंग जजों की विजिट भी बढ़ाई जानी चाहिए। ये विजिटिंग जज कैदियों से मिलकर उनकी समस्याओं को तो जानेंगे ही जेल अफसरों की चुनौतियों और मुश्किलों को भी समझेंगे। विजिटिंग जज और जेल सुपरिटेंडेंट की सीलबंद रिपोर्ट हर तीन महीने में संबंधित सरकारों और कोर्ट के पास भेजी जानी चाहिए। इससे जेलों की हकीकत के बारे में पता लगता रहेगा। इसके अलावा तिहाड़ की नौ जेलों, मंडोली की छह जेलों और रोहिणी की जेलों में आपस में प्रतियोगिता कराई जानी चाहिए कि कौन सी जेल किन मामलों में अच्छी रही। जेल में अलग से एक स्पेशल विजिलेंस टीम बनानी होगी, जिसकी विश्वसनीयता पर शक ना किया जा सके। जेलों में इंटरनल मुखबिरी सिस्टम को और दुरुस्त करना होगा। पुलिस की तरह बीट सिस्टम लागू की जा सकती है ताकि कोई भी मामला सामने आए तो इसकी जवाबदेही तय की जा सके।

गृह मंत्रालय से भी जेल मैनेजमेंट को मजबूत करने वाले उपायों के बारे में सुझाव देने को कहा गया है। अब तिहाड़ जेल अथॉरिटी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेल के सिस्टम को कैसे और बेहतर बनाया जाए।

क्षमता से अधिक कैदी

मनीष अग्रवाल।।

तिहाड़ जेल अथॉरिटी अपना विश्वास खो चुकी है। जांच पूरी होने तक चंद्रा बंधुओं को अनुचित सहयोग पहुंचाने वाले जेल अधिकारियों को सस्पेंड रहना होगा। इस तरह की टिप्पणियां और आदेश यूनिटेक के प्रमोटर्स चंद्रा बंधु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए। गृह मंत्रालय से भी जेल मैनेजमेंट को मजबूत करने वाले उपायों के बारे में सुझाव देने को कहा गया है। अब तिहाड़ जेल अथॉरिटी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेल के सिस्टम को कैसे और बेहतर बनाया जाए। इसका दूसरा पहलू जेल स्टाफ की इस जिज्ञासा के रूप में सामने आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी या चूक हुई कहां है, जो उन्हें ऐसी सजा मिल रही है। उनका आग्रह यह भी है कि जेल स्टाफ की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में भी तो कोई जानने का प्रयास करे। मुझे तिहाड़ जेल कवर करते हुए 15 साल से अधिक वक्त हो चुका है। इस दौरान किसी एक मामले को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हुआ हो, ऐसा देखने में नहीं आया।

बहरहाल, तिहाड़ जेल के सुधार की बात की जाए तो सबसे पहले यहां की चुनौतियों को देखना होगा। 5200 की क्षमता वाली तिहाड़ जेल में 12 हजार से अधिक कैदी हैं। गैंगस्टर और

जघन्य अपराध में जेल आए मुलजिमों की संख्या भी अच्छी-खासी है। इस हिसाब से कैदियों को रखने की जगह और स्टाफ में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

वैसे जेल की व्यवस्था में सुधार को लेकर कई तरह के सुझाव भी सामने आ रहे हैं। कुछ प्रमुख सुझावों पर यहां विचार किया जा सकता है। अभी तक जेल में जो सुपरिंटेंडेंट बनाए जाते हैं, वे आमतौर पर दिल्ली सरकार में सिविल डिपार्टमेंट संभालने वाले होते हैं। जिन अफसरों का अपराध और अपराधियों से कभी पाला नहीं पड़ा, उन्हें एक ही झटके में मुलजिमों के समंदर में उतार दिया जाता है। जाहिर है इन अफसरों को इस बात का तजुर्बा नहीं होता कि जेल में बंद गैंगस्टर और अन्य खतरनाक मुलजिमों से कैसे पेश आया जाए, शांति के साथ जेल चलाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाए ताकि कैदी जेलों के अंदर से किसी को धमका ना सकें, किसी के ऊपर जानलेवा हमले न कर सकें, मोबाइल फोन न चला सकें, ड्रग्स वगैरह ना बेच सकें और जेल के अंदर से अपना साम्राज्य न चला सकें। जाहिर है, जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर पुलिस अफसरों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों के पुलिस अफसर भी यहां सुपरिटेंडेंट बनाए जा सकते हैं। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या बीएसएफ के अफसरों को भी डेपुटेशन पर लाया जा सकता है, जो यहां के जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसे आग्रहों से भी मुक्त होंगे।

इसके अलावा जेल अफसरों की इस मामले में होने वाली उपेक्षा पर भी ध्यान देना होगा। पिछले कुछ सालों से तिहाड़ में भी जेल कैडर के ऐसे अफसरों को जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पर अवसर नहीं मिल पा रहा, जो सालों के तजुर्बे के बलबूते अच्छे से जेल चलाने का माद्दा रखते हैं। जब उनके सिर पर बाहर से लाकर किसी सुपरिटेंडेंट को बैठा दिया जाता है तो वे ऊपर से भले 'यस सर' की मुद्रा बनाए रखते हों, वास्तव में अपेक्षित सहयोग नहीं करते। ऐसे में जेलों में खींचतान चलती रहती है। इसका इलाज यही है कि जेल कैडर के काबिल अफसरों को अवसर देने पर खास ध्यान दिया जाए। इससे जेलों में टीम वर्क अच्छा होगा।

सूडोकु नवताल-5319

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5318 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

अपना ब्लॉग

सुधार की प्रक्रिया न बाधित हो जाए

मोहन। यहां एक सवाल यह उठता है कि अगर तिहाड़ जेल की सारी कमान पुलिस अफसरों के हवाले कर दी गई तो कहीं आने वाले समय में कैदियों के सुधार की प्रक्रिया न बाधित हो जाए, उनके अधिकारों पर उलटा असर न पड़े। इसके लिए यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो भी नए जज बनते हैं, उनकी जेलों को लेकर ट्रेनिंग कराई जाए।

ट्रेनिंग का यह समय 15 दिन से एक महीने का हो सकता है या जुडिशरी पर छोड़ा जा सकता है कि वह अपनी तरफ से कोई उपयुक्त अवधि तय कर दे। इसके साथ ही तिहाड़ जेल का कुछ राज्यों की जेलों के साथ टाइअप किया जा सकता है, जिससे स्टाफ को इस बात का डर रहे कि कुछ गड़बड़ होने पर उसका दिल्ली से दूर भी ट्रांसफर हो सकता है। इसका फायदा यह होगा कि शुरू से ही न्यायिक अधिकारी जेलों के अंदर होने वाली गड़बड़ियों और जेल चलाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जमीनी हकीकत से रूबरू हो सकेंगे।